ITS Absorption

The absorption of ITS personnel into BSNL has been long over due. This was deferred and postponed many times on one or the other pretext. It is most unfortunate that the ITS officers also could not spell out their future even after ten years and preferred litigation without result.

The Govt., DoT, is also responsible for creating and generating hurdles in the process of absorption. In Sept., 2000 Govt. of India took extra ordinary decision to pay the pension to absorbed employees. Rule 37A pension Rule was framed for absorbed employees in BSNL. After 3 years of corporatization Ministry of Finance demanded full cost of the pension. The NFTE resisted the move in 2003/2004 and launched struggle against this. The DOT was forced to issue orders on 15th March, 2005 to the effect that Govt. will pay the pension and BSNL was freed from the liabilities.

However within a year i.e. on 15th June, 2006 Govt. reversed all the orders and imposed 40% pension payment liability on BSNL. This has created enough but avoidable fear and apprehension amongst the ITS personnel and due to this only few office have exercised option for BSNL. **It is pity indeed!** There would have been more ITS optees for BSNL in case orders on pension were not altered, revised and diluted. Unfortunately the recognized union also failed to read writings on the walls and did not organise any kind of struggle against the change in orders. The pension payment situation may become very grim in future in case one lakh employees are granted VRS. The contribution will be less but the pension expenditures will be very high. Now vacume is created due to relief of non-optees. This is affecting the performance of the PSU especially when for last 6 months it was picking up. The DOT choose a very wrong time to start the process and it appears its intention is not pious. They want to kill and destroy the BSNL by hook or crock. Thus a big challenge is now thrown before us.

Time has come when absorbees , executives and non-executives both, in BSNL Should join hands to put the company on right track. We also appeal to BSNL management to relieve atleast 50% ITS personnel immediately including non-performers, tainted and chargesheeted ITS personnel from BSNL.

आई टी एस ऐबजार्पशन

आईटीएस अधिकारियों का बीएसएनएल में शामिल होने का मुद्दा बहुत अधिक समय से लम्बित रहा है। यह कई बार विभिन्न कारणों से टलता रहा है। दुखद तो यह है कि 10 वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी ये अधिकारी अपने भविष्य को निश्चित करने में अस्मर्थ रहे है। समय–समय पर व्यर्थ में केवल अदालतों का शरण लेते रहे हैं। सरकार विशेषकर डीओटी ने भी कठिनाईयों को उत्पन्न किया है। सितम्बर, 2000 में भारत सरकार ने अभूतपूर्व तथा महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि बीएसएनएल में सम्मिलित कर्मचारियों की सरकारी पेंशन की पात्रता होगी तथा इसका सरकार भुगतान करेगी। सरकार ने पेंशन नियम, 37ए, भी बना दिया था। परन्तु तीन वर्षों के अन्तराल में ही वित्त मंत्रालय ने बीएसएनएल से सम्पूर्ण पेंशन भुगतान खर्चे की मांग प्रस्तुत कर दी। एनएफटीई ने इसका प्रबल विरोध किया जिसके कारण डीओटी को आदेश जारी करना पड़ा कि सरकार पेंशन भुगतान करेगी तथा बीएसएनएल को पेंशन वित्तीय भार से मुक्त कर दिया। परन्तु एक वर्ष के भीतर ही 15 जून, 2006 को डीओटी ने पेंशन भुगतान आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि 40 प्रतिशत पेंशन भुगतान का वित्तीय भारत बीएसएनएल को सहन करना पड़ेगा। ***पेंशन आदेशों में परिवर्तनों ने आई टी एस अधिकारियों मे भय तथा शकाएं उत्पन्न की जिसके कारणा बहुत कम संख्या में लोगों ने बीएसएनएल का विकल्प दिया है।*** हमारा दृढ़ मत है कि यदि पेंशन आदेशों में संशोधन एवम् परिवर्तन नहीं होता तो आईटीएस अधिकारी अधिक संख्या में बीएसएनएल का विकल्प देते। यह दुर्भाग्य है कि मान्यता प्राप्त संघ ने पेंशन आदेशों में संशोधन के विरूद्ध किसी भी प्रकार का आन्दोलन तथा संघर्ष संगठित नहीं किया। एक लाख कर्मचारियों के *वीआरएस के पश्चात पेंशन भुगतान की परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर हो जाएगी। कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारणा पेंशन योगदान कम होगा तथा पेंशन भुगतान खर्च अधिक हो जाएगा।*

नॉन– आप्टीज (आई टी एस) के कार्यमुक्त होने के कारण खालीपन व्याप्त हो रहा है। इससे बीएसएनएल की प्रगतिबाधित हो रही है। यह कष्टदायी है क्योंकि पिछले छः माह से यह प्रगति के मार्ग पर था। डीओटी ने ऐबजार्पशन का गलत समय निर्धारित किया है। डीओटी ऐन केन प्रकारण बीएसएनएल को बर्बाद करना चाहता है। **अतः हमारे समक्ष गम्भीर चुनौती है।**

समय का तकाजा है कि बीएसएनएल में सम्मिलित इक्जीक्युटिव तथा नॉन–इक्जीक्युटिव कर्मचारी एकजुट होकर कम्पनी को आगे बढ़ाए।

प्रबंधन से अपील है कि कम से कम 50 प्रतिशत नॉन–आप्टीज अधिकारियों को बीएसएनएल से तुरन्त कार्यमुक्त करें जिससे कि कम्पनी का वित्तीय भार कम हो। ***भ्रष्ट, चार्जशीटेड तथा नॉन– परफार्मर्स को तत्काल बीएसएनएल से हटाया जाय।***